राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–स.3(16)(11)विविध / अभि. / 14 / 3988–4035 दिनांकः– 18/04/23

<u>परिपत्र</u>

भ्रष्टाचार निरोधक मामलों में प्रायः यह देखने में आया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के न्यायालयों में पदस्थापित सहायक निदेशक के अवकाश पर जाने पर अथवा अन्य किसी कारण से उपलब्ध नहीं होने पर पैरवी के लिए प्रशासन से जुडे सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा स्वंय पैरवी के लिए नहीं जा कर काफी कनिष्ठ स्तर के अभियोजन अधिकारी एवं कभी–कभी तो सहायक अभियोजन अधिकारी स्तर के अभियोजकों को पैरवी हेतु भेज दिया जाता है। अभियोजन अधिकारी के द्वारा ऐसे तकनीकी–संवेदनशील व बेहद महत्वपूर्ण प्रकृति के मामलों में पैरवी के अनुभव के अभाव में उस श्रेष्ठता के साथ पैरवी नहीं की जा सकती है जैसी सहायक निदेशक स्तर के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा की जा सकती है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून से संबंधित मामले बेहद तकनीकी तथा महत्वपूर्ण प्रकृति के होते हैं, इसी कारण इन न्यायालयों में बेहद वरिष्ठ स्तर के सहायक निदेशक अभियोजन अधिकारियों का पदस्थापन किया जाता है। इस संबंध में पूर्व में निदेशालय के नवीनतम परिपत्र कमांक स.3(16)(11)विविध / अभि. / 14 / 16302–402 दिनांक 14.12.17 के द्वारा निर्देश दिए गए थे लेकिन इनकी पालना नहीं होना बार–बार ध्यान में लाया गया है। **इसे किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता है।**

आप जानते हैं कि अभियोजन की कमी–त्रुटि के लिए माननीय उच्चतम् न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत "गुजरात राज्य बनाम किशन भाई" की पालना में उत्तरदायित्व नियत किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन का दायित्व और अधिक सावधानी–निपुणता से निभाए जाने की आवश्यकता है।

अतः भ्रष्टाचार निरोधक मामलों के न्यायालयों से संबंधित जिलों के प्रशासन से जुड़े सहायक निदेशक अभियोजन को उपर उल्लेखित परिपत्र की निरन्तरता में पुनः यह निर्देश दिए जाते हैं कि जब कभी भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालयों में पदस्थापित सहायक निदेशक अभियोजन अवकाश पर हों अथवा अन्य किसी कारण से उपलब्ध न हो तब केवल तथा केवल सहायक निदेशक अभियोजन (प्रशासन) द्वारा ही पैरवी की जाए। यदि जिला मुख्यालय के प्रशासन से जुडें सहायक निदेशक अभियोजन भी किसी कारण से इस अवधि में अवकाश पर है अथवा अन्य किसी कारण से उपलब्ध नही हों, तब जिला मुख्यालय पर पदस्थापित सबसे वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा ही भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी की जाएगी। इसी प्रकार संभागीय मुख्यालयों पर यदि ऐसे दिवस पर प्रशासन से जुडे सहायक निदेशक अभियोजन भी अवकाश पर है अथवा अन्य किसी कारण से उपलब्ध नहीं है तब उप–निदेशक अभियोजन द्वारा ऐसे न्यायालयों में पैरवी की जाएगी। भ्रष्टाचार निरोधक मामलों के न्यायालयों में प्रशासन से जुडे जिला–संभाग मुख्यालय पर पदस्थापित उप निदेशक अभियोजन तथा सहायक निदेशक अभियोजन अपने किसी भी प्रशासनिक कार्य पर न्यायालय में पैरवी के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सुनिश्चित करेंगे।

परिपत्र की कठोरता से पालना की जाए।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
2. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
3. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।
4. सम्बन्धित न्यायालयों में पदस्थापित अधिकारी द्वारा सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन।
5. राजपत्रित शाखा, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर

Signature valid
Digitally signed by R... Sharma
Designation: Dir...
Date: 2023.0... 3...49:16 IST
Reason: Appro...

Address: Room No: 7226, 2nd Floor, Food Building, Se... ...de: 302005
Phone & Fax: 0141-2227806 Mail ID: Prose...@Rajas...v.in

RajKaj Ref No. : 3630643